

मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
किसान भवन, 26 अरेरा हिल्स, भोपाल

क्रमांक/बोर्ड/नियमन/भुगतान/2020-21/764

भोपाल, 14/12/2020

आदेश

“मध्य प्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972” की धारा 37 के प्रावधान अंतर्गत अधिसूचित कृषि उपज मंडी प्रांगण में संपन्न विक्रय संव्यवहार में क्रेता द्वारा विक्रेता को उसी दिन भुगतान करने का प्रावधान है।

केंद्रीय अधिनियम, “The Farmers' Produce Trade and Commerce (Promotion and Facilitation) Act, 2020” की धारा 4(3) में भी “ट्रेड एरिया” में हुए विक्रय संव्यवहारों में क्रेता द्वारा विक्रेता को, उसी दिन अथवा प्रक्रियात्मक विलम्ब की स्थिति में तीन दिवस में भुगतान करने का प्रावधान है।

किन्तु मंडियों में एवं “ट्रेड एरिया” में क्रेता के द्वारा भुगतान में विलम्ब किये जाने अथवा भुगतान नहीं किये जाने की शिकायत प्राप्त होती रहती है।

2. उक्त स्थिति को देखते हुए, प्रदेश में कृषकों को भुगतान में व्यतिक्रम संबंधी प्रकरणों की निम्नानुसार नोडल अधिकारी नियुक्त किये जाते हैं-

संयुक्त संचालक (नियमन), मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय	मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय स्तर पर मॉनिटरिंग के लिए
आंचलिक संयुक्त/उप संचालक मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, आंचलिक कार्यालय - ____ (समस्त)	संबंधित संभाग के स्तर पर मॉनिटरिंग के लिए

- नोडल अधिकारी, कृषि उपज मंडी प्रांगणों में हुए विक्रय संव्यवहारों के भुगतान के संबंध में भुगतान व्यतिक्रम के प्रकरणों की दैनिक मॉनिटरिंग करेंगे और प्रकरणों में कृषकों का भुगतान सुनिश्चित कराते हुए निराकरण कराएंगे।

- केन्द्रीय अधिनियम अंतर्गत "ट्रेड एरिया" में हुए विक्रय संव्यवहारों के संबंध में भुगतान व्यतिक्रम की शिकायत प्राप्त होने पर, नोडल अधिकारी, संबंधित जिला दंडाधिकारी/ अनुविभागीय दंडाधिकारी को, केन्द्रीय अधिनियम की धारा (8) अनुसार प्रकरण के निराकरण हेतु सूचित करेंगे.

3. इसके अतिरिक्त केन्द्रीय अधिनियम, "The Farmers (Empowerment and Protection) Agreement on Price Assurance and Farm Services Act, 2020" के अंतर्गत संविदा कृषि में कृषक संबंधी विवाद की शिकायत प्राप्त होने पर भी, उक्त क्रमांक (2) अनुसार नियुक्त नोडल अधिकारी, संबंधित जिला दंडाधिकारी/ अनुविभागीय दंडाधिकारी को, केन्द्रीय अधिनियम की धारा (14) अनुसार प्रकरण के निराकरण हेतु सूचित करेंगे.

उक्तानुसार भुगतान व्यतिक्रम प्रकरणों एवं संविदा कृषि संबंधी विवाद की मॉनिटरिंग हेतु जानकारी संधारण के पत्रक संलग्न है.

संलग्न - उपरोक्तानुसार.


(प्रियंका दास)

प्रबंध संचालक सह आयुक्त
मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

भोपाल, 14/12/2020

क्रमांक/बोर्ड/नियमन/भुगतान/2020-21/765

प्रतिलिपि : कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -

1. प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, मंत्रालय, भोपाल.
2. संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, संचालनालय, भोपाल.
3. कलेक्टर, जिला - _____ (समस्त) (मध्य प्रदेश).
4. अपर/ संयुक्त/ उप संचालक, मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय, भोपाल (समस्त).
5. संयुक्त संचालक (नियमन), मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय, भोपाल.
6. संयुक्त/ उप संचालक, मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, आंचलिक कार्यालय - _____ (समस्त).
7. सचिव, कृषि उपज मंडी समिति - _____ (समस्त).



प्रबंध संचालक सह आयुक्त
मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

मंडी प्रांगण में भुगतान व्यतिक्रम के प्रकरणों की मॉनिटरिंग के संबंध में

सरल क्रमांक	कृषक की जानकारी			विक्रय संव्यवहार का विवरण			विक्रीत उपज का विवरण		शिकायत विवरण/ भुगतान प्राप्ति की स्थिति			निराकरण की स्थिति	
	नाम	मोबाइल नंबर	पता	विक्रय दिनांक	क्रेता का नाम	विक्रय कृषि उपज मंडी का नाम	वजन	मूल्य	आंशिक भुगतान प्राप्त	भुगतान अप्राप्त	भाव के संबंध में शिकायत	मंडी स्तर पर निराकरण	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

